

राजस्थान सरकार
वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/WAM/2018/3187-3194 दिनांक 17/7/2020

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना, जयपुर
2. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
3. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, जयपुर
4. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर
5. मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर/ जैसलमेर
6. विकास आयुक्त, सी.ए.डी. कोटा
7. विकास आयुक्त, सी.ए.डी. बीकानेर

विषय:- तकनीकी स्वीकृति मॉड्यूल हेतु सभी निर्माण विभागों के मास्टर ट्रेनर्स को एन.आई.सी. द्वारा प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने बाबत।

संदर्भ:- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. (वॉम) का पत्रांक 209 दिनांक 08.07.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्त विभाग के निर्देशानुसार एन.आई.सी. द्वारा तकनीकी स्वीकृति मॉड्यूल विकसित कर सिक्योरिटी ऑडिट पश्चात् इसे ts.raj.nic.in पर होस्ट किया जा चुका है। तकनीकी स्वीकृति मॉड्यूल हेतु सभी निर्माण विभागों के 2 अथवा 3 अधिकारियों को एन.आई.सी. द्वारा मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण दिया जाना अपेक्षित है।

तकनीकी स्वीकृति मॉड्यूल हेतु एन.आई.सी. द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण के क्रम में निदेशक कोष एवं लेखा विभाग के पत्रांक 1202-1209 दिनांक 22.05.2020 द्वारा आपको तीन-तीन मास्टर ट्रेनर नियुक्त कर निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग को अवगत कराये जाने हेतु लिखा गया था, जिसके क्रम में वन विभाग, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर एवं सी.ए.डी. बीकानेर द्वारा अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु नियुक्त कर अवगत करवाया गया है जबकि शेष विभागों द्वारा प्रशिक्षण हेतु अधिकारियों का मनोनयन कर सूचना निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग को उपलब्ध करायी जानी अभी भी अपेक्षित है।

निर्माण कार्यों हेतु ऑनलाइन तकनीकी स्वीकृति जारी करने के लिए विकसित तकनीकी स्वीकृति मॉड्यूल का सभी निर्माण विभागों के मास्टर ट्रेनर्स के लिए एन.आई.सी. द्वारा निम्न कार्यक्रमानुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा:-

क्र. सं.	विभाग का नाम जिनके लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है।	प्रशिक्षण की दिनांक एवं समय	प्रशिक्षण का स्थान
1.	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं जल संसाधन विभाग	27.07.2020 प्रातः 11.00 बजे	सी-ब्लॉक, द्वितीय तल, मिटिंग हॉल, वित्त भवन, जयपुर
2.	वन विभाग	27.07.2020 अपराह्न 3.00 बजे (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)	वी.सी. रूम, तृतीय तल वित्त भवन, जयपुर
	इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जयपुर सी.ए.डी. बीकानेर सी.ए.डी. चम्बल कोटा		बीकानेर एवं कोटा स्थित एन.आई.सी. वी. सी. रूम

अतः उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु उक्त कार्य से संबंधित विभाग के 2-2 अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर नियुक्त कर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु निर्देशित कराने का श्रम करावें। इन मास्टर ट्रेनर्स द्वारा ही विभाग के अन्य अधिकारियों/ कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

भवदीय



(आशुतोष वाजपेयी)

संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/WAM/2018/3195-3206 दिनांक 17/7/2020
प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर
2. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना, जयपुर
3. वित्तीय सलाहकार, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
4. वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, जयपुर
5. वित्तीय सलाहकार, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर
6. वित्तीय सलाहकार, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर/जैसलमेर
7. वित्तीय सलाहकार, सी.ए.डी. कोटा
8. वित्तीय सलाहकार, सी.ए.डी. बीकानेर
9. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., पुराना रिकॉर्ड भवन, शासन सचिवालय, जयपुर
10. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. (वॉम), वित्त भवन, जयपुर
11. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु



संयुक्त शासन सचिव